न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व विविध :– 94/2019

1. ठाकरराम पुत्र स्व0 अमीलाल जाति बिश्नोई आयु करीब 70 वर्ष निवासी 2 पी बडी रोहिडावाली तह0 व जिला श्री गंगानगर

— — वादी

—:: बनाम ::—

स्टेट आफ राजस्थान – जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

— — प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

—:: निर्णय ::—

दिनांक :–19.12.2019

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी का पेशा काश्तकारी है तथा वह उपरोक्त पते का स्थाई निवासी है, वादी का सही नाम ठाकरराम है, वादी का रजिस्टर्ड पता जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14(क) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित है, वह वही है जो शीर्षक वाद–पत्र में अंकित है, वाद दो प्रतियों में पेश है तथा वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र शपथ–पत्र शामिल है। वादी के नाम से चक 3 पी बडी, पटवार हल्का रोहिडावाली तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 7/6, मु0 न0 1, 8, 38/3 की कुल 6.578 हे0 में से 0.822 हे0 व खाता सं0 6/7, 3 न0 2,19,21,22,33 की कुल 6.671 हे0 में से 0.834 हे0 खातेदारी दर्ज है, जमाबंदी की नकल शामिल है। उपरोक्त भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है, आज भी वादी काबिज है तथा मामला आबियाना जमा करवा रहा है। वादी का सही नाम ठाकरराम है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में कर्मचारीगण माल अथवा अन्य किसी गलती के कारण ठाकरराम के स्थान पर ठाकरमल दर्ज हो गया है तथा तहसीलदार बिना श्रीमान् न्यायालय के आदेश के ठाकरमल के स्थान पर ठाकरराम दर्ज करने में असमर्थ है। प्रार्थी के नाम आधार कार्ड सं0 3723 9918 6601 बना हुआ, जिसकी नकल शामिल है तथा पहचान पत्र सं0 आर जे/1/007/357743 बना हुआ है, जिसकी नकल शामिल है, सहकारी किसान कार्ड सदस्य सं0 249 से बना हुआ है, नकल शामिल है, जिनमें भी वादी का नाम ठाकरराम है। प्रार्थी की पत्नी सावित्री देवी के नाम से भामाशाह कार्ड बना हुआ है, जिसमें भी प्रार्थी का नाम ठाकरराम दर्ज है। प्रार्थी जो उपरोक्त भूमि का सिंचाई विभाग को मामला आबियाना की राशि जमा करवाता है, उसमें भी ठाकरराम दर्ज किया जाता है, मामला की पर्चीयों की नकलें शामिल है। प्रार्थी के नाम वोटरलिस्ट विधानसभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर भाग सं0 87, क्रम सं0 174 पर दर्ज है, जिसमें भी प्रार्थी का नाम ठाकरराम दर्ज है। ग्राम पंचायत रोहिडावाली का प्रमाण–पत्र दिनांक 16.05.92 जारी किया हुआ है जिसमें भी प्रार्थी का नाम

(मुकेश बारैठ)

ठाकरराम दर्ज है, नकल शामिल है। मौजूदा सरपंच का प्रमाण–पत्र भी शामिल है, जिसमें यह स्पष्ट लिखा है कि प्रार्थी का नाम ठाकरराम है तथा ठाकरमल पुत्र अमीलाल नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में नहीं रहता है, इस प्रकार समस्त रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम वास्तव में ठाकरराम है, आधार कार्ड, पहचान–पत्र आदि फोटोयुक्त है, जिससे स्पष्ट है कि किसी गलती के कारण राजस्व रिकॉर्ड में ठाकरराम के स्थान पर ठाकरमल दर्ज हो गया है, अतः प्रार्थी के लिए उपरोक्त दोनों खातों की भूमि अपनी खातेदारी घोषित करवाना तथा जमाबंदी में हुई गलती को देखते हुए दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। वादी ने प्रतिवादी से बार–बार आग्रह किया कि वह उपरोक्त दोनों खातों की भूमि में प्रार्थी ठाकरराम के नाम जो भूमि दर्ज है, जिसमें किसी गलती के कारण ठाकरराम के स्थान पर ठाकरमल दर्ज हो गया है, अतः प्रार्थी को खातेदार मानकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी ठाकरराम के नाम दर्ज करें मगर प्रतिवादी ने दिनांक 18.07.19 को स्पष्ट कहा कि बिना न्यायालय के आदेश के वह रिकॉर्ड में आपके नाम खातेदारी दर्ज करने में असमर्थ है, अतः यही बिनाए मुखासमत है। उपरोक्त खातों के अन्य किसी हिस्सेदार की भूमि आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना है, अतः अन्य कोई काश्तकार आवश्यक पक्षकार नहीं है। लिहाजा वाद वादी पेश करके अर्ज है कि वाद वादी, बहक वादी, खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जावें–

(क) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावें कि चक 3 पी बडी, पटवार हल्का रोहिडावाली के खाता सं0 7/6, मु० न० 1,8, 38/3 की 6.578 हे0 में 0.822 हे0 व खाता सं0 6/7, मु0 न0 2,19,21,22,38 की कुल 6.671 हे0 में 0.834 हे0 का वादी वाद–पत्र में अंकित कारणों से खातेदार, काश्तकार, काबिज व हकदार है तथा जमाबंदियों में ठाकरमल के स्थान पर ठाकरराम दर्ज किया जावें।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो वह भी प्रदान किया जावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी की ओर से सरपंच, ग्राम पंचायत रोहिडांवाली पं.स. श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जरिए क्रमांक भू.अ./2019/5984 दिनांक 11.12.2019 के रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे पटवारी हल्का रोहिडावाली की रिपोर्ट प्राप्त की जिसके अनुसार ठाकरमल पुत्र अमीलाल बिश्नोई निवासी रोहिडावाली तथा ठाकरराम पुत्र अमीलाल बिश्नोई एक ही व्यक्ति है अतः शुद्वि की जानी उचित है। पत्रावली मय संलग्न तथा पटवारी रिपोर्ट सहित सादर प्रेषित है।

–:: आदेश ::–

वादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर

(राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–94/2019
अनवान ठाकर राम बनाम स्टेट)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 3 पी बडी, पटवार हल्का रोहिडावाली के खाता सं0 7/6, मु० न० 1, 8, 38/3 की 6.578 हे0 में से 0.822 हे0 व खाता सं0 6/7, मु0 न0 2,19,21,22,38 की कुल 6.671 हे0 में से 0.834 हे0 का राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दुरूस्ती करते हुए ठाकरमल के स्थान पर ठाकरराम दर्ज करने का आदेश दिये जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) (राज.)

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 19.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
श्रीगंगानगर

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2020.01.01 15:26:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: